



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 857) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 156, दिनांक 22 जुलाई 2026— औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 18 तथा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम संसाधन एवं प्रवासी कामगार कल्याण विभाग, बिहार, ट्रेड यूनियनों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की रीति एवं प्रक्रिया निम्नवत् अधिसूचित करता है, अर्थात् :-

1. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र व्यक्ति।—निम्नलिखित व्यक्ति अधिकारिता रखने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, अर्थात् :-
 - (क) एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन, यदि विवाद एक ट्रेड यूनियन एवं दूसरी ट्रेड यूनियन के मध्य हो;
 - (ख) एक या अधिक कामगार, जो किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हों तथा ट्रेड यूनियन के पंजीकरण, प्रशासन, प्रबंधन अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के संबंध में व्यथित हों;
 - (ग) एक या अधिक कामगार, जिन्हें किसी ट्रेड यूनियन की सदस्यता प्रदान करने से इंकार किया गया हो;
 - (घ) ट्रेड यूनियनों के किसी परिसंघ की ओर से विधिवत् प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, यदि विवाद उक्त परिसंघ से संबंधित हो।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की विधि।—प्रपत्र-VIII में आवेदन निम्नलिखित किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा :-
 - (क) श्रम संसाधन एवं प्रवासी कामगार कल्याण विभाग द्वारा नामित वेब-पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में;

- (ख) संबंधित औद्योगिक न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार को संबोधित पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा;
- (ग) अधिकारिता रखने वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर;
- (घ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी इलेक्ट्रॉनिक मंच अथवा ऑनलाइन शिकायत एवं विवाद निवारण प्रणाली के माध्यम से।
3. **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज।**—प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे ;
- (क) जहाँ लागू हो, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति;
- (ख) जहाँ लागू हो, आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को अधिकृत करने वाले संकल्प अथवा प्राधिकरण-पत्र की प्रति;
- (ग) विवाद उत्पन्न होने के तथ्यों का विवरण;
- (घ) आवेदक द्वारा अवलंबित दस्तावेजों की प्रतियाँ;
- (ङ) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें उपलब्ध होने पर डाक पता, ई-मेल पता एवं मोबाइल संख्या शामिल हो; तथा
- (च) विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु प्रासंगिक समझा जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज।
4. **आवेदन की जांच।**—
- (1) आवेदन प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण आवेदन एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच करेगा।
- (2) यदि कोई त्रुटि अथवा कमी पाई जाती है, तो न्यायाधिकरण आवेदक को उसे दूर करने हेतु युक्तियुक्त समय प्रदान कर सकेगा।
- (3) आवेदन को उस तिथि से विधिवत् संस्थित माना जाएगा, जिस तिथि को सभी त्रुटियाँ अथवा कमियाँ न्यायाधिकरण की संतुष्टि के अनुसार दूर कर दी जाएंगी।
5. **आवेदन की पावती।**—
- (1) इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन दाखिल किए जाने की स्थिति में, एक विशिष्ट संदर्भ संख्या सहित इलेक्ट्रॉनिक पावती उत्पन्न की जाएगी।
- (2) भौतिक रूप से अथवा डाक के माध्यम से आवेदन दाखिल किए जाने की स्थिति में, न्यायाधिकरण प्राप्ति की तिथि एवं डायरी संख्या अंकित करते हुए पावती जारी करेगा।
6. **सूचना की तामील।**—आवेदन स्वीकार किए जाने के उपरांत न्यायाधिकरण विपक्षी पक्ष को निम्नलिखित माध्यमों से सूचना की तामील करने का निर्देश दे सकेगा ;
- (क) पंजीकृत डाक;
- (ख) स्पीड पोस्ट;
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल);
- (घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक संदेश मंच; अथवा
- (ङ) न्यायाधिकरण द्वारा उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य माध्यम।
7. **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का संधारण।**—श्रम संसाधन एवं प्रवासी कामगार कल्याण विभाग, संहिता की धारा 22 के अधीन दाखिल सभी आवेदनों, अभिवचनों (Pleadings), सूचनाओं, आदेशों एवं कार्यवाहियों का रजिस्टर अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संधारित कर सकेगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025-162/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 157, एस० ओ० 156 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-03/2025-163/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 156, dated 22nd July 2026.— In exercise of the powers conferred by Rule 18 of the Industrial Relations (Bihar) Rules, 2026, read with sub-section (1) of section 22 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department, Bihar hereby notify the mode and manner of making application before the Industrial Tribunal for adjudication of disputes relating to Trade Unions, namely:—

1. ***Persons entitled to make application.***— The following persons may file an application before the Tribunal having jurisdiction, namely:—
 - (a) a registered Trade Union in case of a dispute between one Trade Union and another Trade Union;
 - (b) one or more workers who are members of a Trade Union and are aggrieved regarding registration, administration, management or election of office-bearers of the Trade Union;
 - (c) one or more workers who have been refused admission as members of a Trade Union;
 - (d) an office-bearer duly authorised by a Trade Union which is a federation of Trade Unions in respect of disputes concerning such federation.
2. ***Mode of submission of application.***— An application in Form VIII may be submitted through any of the following modes:—
 - (a) electronically through the web portal designated by the Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department;
 - (b) by registered post or speed post addressed to the Registrar of the concerned Industrial Tribunal;
 - (c) by physical submission in person at the office of the Industrial Tribunal having jurisdiction;
 - (d) through such electronic platform or online grievance and dispute resolution system as may be notified by the State Government from time to time.
3. ***Documents to accompany application.***— Every application shall be accompanied by—
 - (a) a copy of the registration certificate of the Trade Union, where applicable;

- (b) copy of the resolution or authorization empowering the applicant to file the application, where applicable;
 - (c) statement of facts giving rise to the dispute;
 - (d) copies of documents relied upon by the applicant;
 - (e) details of the parties to the dispute including postal address, e-mail address and mobile number, wherever available; and
 - (f) any other document considered relevant for adjudication of the dispute.
4. ***Scrutiny of application .—***
- (1) Upon receipt of the application, the Tribunal shall scrutinize the application and accompanying documents.
 - (2) Where any defect or deficiency is noticed, the Tribunal may grant reasonable time to the applicant to rectify the same.
 - (3) An application shall be deemed to be duly instituted on the date on which all defects, if any, are removed to the satisfaction of the Tribunal.
5. ***Acknowledgement of application .—***
- (1) In case of electronic filing, an electronic acknowledgement bearing a unique reference number shall be generated.
 - (2) In case of physical filing or filing through post, the Tribunal shall issue an acknowledgement indicating the date of receipt and diary number.
6. ***Service of notice.—*** After admission of the application, the Tribunal may direct service of notice upon the opposite party through—
- (a) registered post;
 - (b) speed post;
 - (c) electronic mail;
 - (d) electronic messaging platform approved by the State Government; or
 - (e) any other mode deemed appropriate by the Tribunal.
7. ***Maintenance of electronic records .—***The Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department may maintain register or electronic records of all applications, pleadings, notices, orders and proceedings filed under section 22 of the Code.

(No. 01/IRC-10-03/2025-162/ L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

Upendra Prasad,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 857-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>